

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/वित्तीय/प्रशा.अधि./14-15/1843

भोपाल, दिनांक 07/09/2015

आदेश

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बोर्ड/वित्तीय/प्रशा./अधि./14-15/1324-1325 दिनांक 07.03.2015 में आंशिक संशोधन कर मैं अरूण पाण्डेय, प्रबंध संचालक संशोधित वित्तीय अधिकार की कंडिका क्रमांक 01 लगायत 04 में वर्णित वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित करता हूँ।

उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।



(अरूण पाण्डेय)

प्रबंध संचालक

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड


भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/वित्तीय/प्रशा.अधि./14-15/1844

भोपाल, दिनांक 07/09/2015

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निज सचिव, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
02. अपर संचालक (समस्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
03. मुख्य अभियंता, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
04. संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री (समस्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
05. समस्त संयुक्त संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय।
06. समस्त कार्यपालन यंत्री, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय।
07. समस्त कार्यपालनयंत्री(यांत्रिकी), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय।
08. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक/लेखाधिकारी, मण्डी बोर्ड, भोपाल।
10. समस्त पटल प्रभारी, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर पालनार्थ।
11. आदेश नस्ती।



प्रबंध संचालक

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल


मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
संशोधित प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार

क्र.	मद क्र.	मद	प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित है	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
1	50	राज्य के अंदर बोर्ड हित में उच्च अधिकारियों/विशिष्ट व्यक्तियों/मंडी बोर्ड मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालयों में स्वागत/बैठक एवं समसामायिक आयोजित बैठक में की स्वीकृति के अधिकार	अध्यक्ष प्रबंध संचालक अपर संचालक मुख्य अभियन्ता संयुक्त संचालक (मुख्यालय) अधीक्षण यंत्री उप संचालक(मुख्यालय) संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार रूपये पचास हजार तक एक समय में। रूपये पांच हजार तक एक समय में। रूपये पच्चीस हजार तक एक समय में रूपये एक हजार एक समय में। रूपये पांच सौ एक समय में। रूपये पांच हजार एक समय में।	बजट प्रावधान एवं बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार
2	5	सेवानिवृत्त/त्यागपत्र/मृत्यु/पदच्युति पर देय भविष्य निधि/सी.पी.एफ./अवकाश नगदीकरण का अंतिम भुगतान स्वीकृत करने का अधिकार	प्रबंध संचालक अपर संचालक संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों तक पूर्ण अधिकार (मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालयों हेतु) द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी हेतु मुख्यालय एवं आंचलिक/तकनीकी कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी के पूर्ण अधिकार मंडी समिति में पदस्थ राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारियों के पूर्ण अधिकार	बोर्ड के बजट प्रावधान एवं शासन के निर्देशानुसार
3	77	अधिवक्ता तथा न्यायालयीन व्यय की स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक अपर संचालक संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार प्रति प्रकरण पच्चीस हजार तक रूपये दस हजार प्रति प्रकरण	बोर्ड के बजट प्रावधान एवं शासन के निर्देशानुसार

4	28	वाहन के टायर ट्यूब, बैटरी, पेट्रोल, ऑयल कय की स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक अपर संचालक संयुक्त संचालक संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय/ कार्यपालन यंत्री	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार रूपये दस हजार तक एक समय में पूर्ण अधिकार बोर्ड के प्रशासकीय आदेश के अधीन	बजट प्रावधान एवं मण्डी बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार
---	----	--	---	---	--

टीप :- व्याख्या/स्पष्टीकरण

01. प्रबंध संचालक को सामान्यतः प्रत्येक मद में वित्तीय नियंत्रण हेतु पूर्ण होंगे। जिन कार्यों में स्पष्ट व्याख्या नहीं है उनमें भी प्रबंध संचालक को कार्य की आवश्यकता तथा महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उचित आधार पर नियमानुसार स्वीकृति देने के पूर्ण अधिकार होंगे।
02. प्राधिकारी जिन्हें कि अधिकार प्रदत्त है उसके नियमानुसार पालन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।



(अरुण पाण्डेय)

प्रबंध संचालक

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

झाँपाल